



राजस्थान-सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

दूरभाष सं0 : 0141-2224878

क्रमांक: एक04(76)/एमएनजेवाई/ऑनलाइन रिपोर्टिंग/2014-15/ 339

ई-मेल: rmsc.mnjy@gmail.com
दिनांक: 5/11/14

अतिमहत्वपूर्ण

समस्त संयुक्त निदेशक जोन,
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।

**विषय:-निशुल्क गांव योजनान्तर्गत प्रतिदिन की जाने वाली गांवों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग एवं
लाभांविता मरीजों की संख्या का इद्राज करने के संबंध में।**

निशुल्क गांव योजना अन्तर्गत चिकित्सा संस्थानों को निशुल्क गांवों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग हेतु
यूजर आईडी प्रदान किये हुये है। जिनका प्रयोग करके उनके द्वारा गांवों एवं लाभांविता मरीजों की संख्या
का इद्राज किया जा रहा है।

पिछले कुछ समय से आपके अधीन चिकित्सा संस्थानों द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं की जा रही
है, जिसको राज्य सरकार द्वारा गंभीरता से लिया गया है। इस हेतु ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं करने वाले
चिकित्सा संस्थान प्रभारियों की निदेशालय में बैठकें भी ली जा चुकी है, परन्तु इसके उपरान्त भी चिकित्सा
संस्थानों द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं की जा रही है।

अतः आप अपने अधीन चिकित्सा संस्थान प्रभारियों को निशुल्क गांव योजनान्तर्गत ई-औषधि
सॉफ्टवेयर में गांवों एवं लाभांविता मरीजों की संख्या का इद्राज करने हेतु निम्न दिशा-निर्देश प्रदान करें :-

1. चिकित्सा संस्थानों में जननी शिशु सुरक्षा योजना, आर.एन.टी.सी.पी (स्पूटम), एच.आई.वी, मलेरिया एवं
अन्य योजनाओं एवं श्रेणी के अन्तर्गत की जा रही गांवों का इन्द्राज भी निशुल्क गांव योजना
अन्तर्गत करवाये।
2. यदि किसी चिकित्सा संस्थान में लैब टेक्निशियन/असिस्टेंट लैब टेक्निशियन नहीं है एवं कफ (स्पूटम)
एवं मलेरिया की गांव का कार्य निकटतम चिकित्सा संस्थान में करवाया जा रहा है, तो उनकी
संख्याओं का इन्द्राज अपने चिकित्सा संस्थान में ही करवाये।
3. यदि किसी चिकित्सा संस्थान में कम्प्यूटर/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/सूचना सहायक नहीं है तो निशुल्क
गांवों का इन्द्राज निकटतम चिकित्सा संस्थान/ब्लॉक चिकित्सा संस्थान में स्वयं के यूजर आईडी का
उपयोग करके करवाये।
4. निशुल्क गांव योजना अन्तर्गत की जा रही गांवों का इन्द्राज केवल ई-औषधी सॉफ्टवेयर में ही किया
जाना है इस हेतु किसी भी प्रकार की भेल न करें।
5. इसके उपरान्त भी यदि किसी चिकित्सा संस्थान द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं की जाती है तो उस
चिकित्सा संस्थान को बजट आवंटित ना करें।

ई-औषधी सॉफ्टवेयर में User ID, Password के संबंध में एवं अन्य आईटी समस्याओं के समाधान हेतु
Ph. 0141-2224783 पर संपर्क करें।

(डॉ0 बी.आर. मीणा)
निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर

दिनांक : 5/11/14

क्रमांक: एक04()/एमएनजेवाई/डेवी ऑनलाइन रिपोर्टिंग/2014/ 339

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनाार्थ प्रेषित है।

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वि0 एवं स्वा0 विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं मिशन निदेशक, एन.एच.एम, जयपुर।
3. नोडल अधिकारी/परियोजना निदेशक, मुख्यमंत्री निशुल्क गांव योजना, जयपुर।
4. डॉ0 गुणमाला जैन, प्रभारी निशुल्क गांव योजना, जयपुर।
5. संलग्न सूचीनुसार - समस्त चिकित्सा संस्थान प्रभारी।
6. समस्त बायो मेडिकल इंजीनियर जोन।
7. रक्षित पत्रावली।

(डॉ0 बी.आर. मीणा)
निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर